संख्या- 201 /2024/ 1160 /चार-2024-1781659

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः **लखनऊः दिनांक 29 मार्च, 2024**

विषय- भारत- नेपाल मैत्री महोत्सव-2023 के आयोजन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 5369/सं0नि0-15(78)/2022-23, दिनांक 28 मार्च, 2024 के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 65/2024/424/चार-2024 दिनांक 31 जनवरी, 2024 द्वारा भारत- नेपाल मैत्री महोत्सव-2023 के आयोजन हेतु रू0 159.96 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत- नेपाल मैत्री महोत्सव-2023 के आयोजन पर हुए वास्तविक व्यय रू0 1,79,93,844.00 के सापेक्ष शासनादेश दिनांक 31 जनवरी, 2024 द्वारा अवमुक्त रू0 159.96 लाख के क्रम में आयोजन पर हुए अतिरिक्त व्यय रू0 19,97,844.00 (रूपये उन्नीस लाख सत्तानवे हजार आठ सौ चौवालीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं कि शासनादेश संख्या- 65/2024/424/चार-2024 दिनांक 31 जनवरी, 2024 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

3. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 के अधीन लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-05- नेपाल सीमा से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के जिलों तथा बुन्देलखण्ड के जनपदों में मेलों/ महोत्सवों का आयोजन -42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रतिनिधिानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या- 201 /2024/ 1160 (1) /चार-2024-1781659, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in